ग्राम पंचायत जगतपुर, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017
भाग—एक

1 (क) प्रस्तावनाः—

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत जगतपुर, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थेः—

प्रधान

क्र0सं0	प्रधान	अवधि
1	श्रीमती इकबाल कौंर	1.4.14 से 22.1.16
2	श्री सिकन्दर सिंह	23.1.16 से लगातार

सचिव

क्र0सं0	पंचायत सचिव	अवधि
1	श्री ओम प्रकाश	10.11.2008 से 25.3.2016
2	श्री मोहन लाल	26.3.2016 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त सारः—

ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्रमांक	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा सं0	राशि (लाखों में)
1	अनुदान राशि का अवरोधन	7	12.49
2	औपचारिकता को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय	10	4.45
3	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना	14 (ख)	4.21

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत जगतपुर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण व निरीक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दर्शाये गये है, श्री पुनीश सागर, अनुभाग अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत कार्यालय, जगतपुर में किया गया। लेखा परीक्षण के दौरान आय की विस्तृत जाँच हेतु माह 08/14, 07/15 व 07/16 तथा व्यय हेतु माह 11/14, 07/15 व 10/16 का चयन किया गया तथा अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शाये गये अभिलेख के अतिरिक्त समस्त वाँछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गये।

यह अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गए अभिलेख एवं सूचनाओं पर आधारित है तथा पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा किसी अभिलेख अथवा सूचना के गलत उपलब्ध करवाए जाने/अपूर्ण उपलब्ध करवाए जाने अथवा उपलब्ध ही न करवाए जाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत जगतपुर के लेखाओं अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक का अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 147 दिनांक 22.12.2017 द्वारा उक्त राशि को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को भेजने हेतु अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

(क) स्वः स्त्रोतों एवं अनुदानः–

ग्राम पंचायत जगतपुर की स्वः स्त्रोतों एवं अनुदानों से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है, जिसका विवरण **परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है।

वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2014–15	440548.58	1182606.00	1623154.58	74961.27	858193.31
2015–16	858193.31	805336.00	1663529.31	865150.50	798378.81
2016–17	798378.81	1914044.67	2712423.48	1369027.66	1343395.82

(ख) मनरेगाः–

ग्राम पंचायत जगतपुर की मनरेगा से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है, जिसका विवरण **परिशिष्ट "क"** पर भी दिया गया है।

वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2014–15	3513	1183539.75	1187052.75	1186854.75	198
2015–16	198	1262540.70	1262738.70	1262520.70	218
2016–17	218	706426.75	706644.75	706426.75	218

(ग) इंदिरा आवास योजना (IAY)

ग्राम पंचायत जगतपुर की इंदिरा आवास योजना (IAY) से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 1.4.14 से 31.3.17 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है, जिसका विवरण **परिशिष्ट "क"** पर भी दिया गया है।

वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2014–15	24120	153892	178012	155400.00	22612.00
2015–16	22612	126020	148632	42600.00	106032.00
2016–17	106032	795148	901180	813465.60	87714.40

(घ) Water Shed:-

ग्राम पंचायत जगतपुर के Water Shed से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 1.4.14 से 31.3.17 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है, जिसका विवरण **परिशिष्ट "क"** पर भी दिया गया है।

वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2014–15	251353	496922	748275	690000	58275
2015–16	58275	405317	463592	398140	65452
2016–17	65452	381636	447088	356740	90348

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करने के परिणामस्वरूप अन्तशेषों में ₹0.26 लाख का अन्तरः–

ग्राम पंचायत की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातो से मिलान करके बैंक समाधान विवरणी तैयार करनी अनिवार्य थी। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी का तैयार न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार की जाए। ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार दिनांक 31.3.2017 को रोकड़ बही (वित्तीय स्थिति) तथा बैंक खातों के अन्त शेष में निम्नविवरणानुसार ₹26209.39 का अन्तर दर्शाया गया था, जिसका समाधान शीघ्र करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	शीर्ष	रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.3.17 को शेष परिशिष्ट "क"	दिनांक 31.3.2017 को विभिन्न बैंकों तथा हस्तगत शेष परिशिष्ट "क"	अन्तर
1	स्वः स्त्रोत तथा अनुदान	1343395.22 जमाः–414560 (रोकड़ बही के अनुसार दिनांक 29.3.17 को किया गया भुगतान (296000+118560) जो बैंक द्वारा 3.4.17 को डेबिट किया गया) 1757955.82	1783807.73	25851.91
2	मनरेगा	218	0	218.00
3	IAY	87714	87853.88	139.48
4	Water Shed	90348	90348	0.00
			कुल योग	**₹26209.39**

नोटः– आरम्भिक तथा अन्तिम शेषों का विवरणः– ग्राम पंचायत के आरम्भिक तथा अन्तिम शेषों का विवरण निम्नानुसार हैः–

शीर्ष	दिनांक 1.4.14 को आरम्भिक शेष			दिनांक 31.3.17 को अन्तिम शेष		
	बैंक/डाकघर का नाम	खाता सं0	शेष	बैंक/डाकघर का नाम	खाता सं0	शेष
स्वः स्त्रोत तथा अनुदान	JCC bank Nalagarh	10133402200049	208544.41	JCC Bank Nalagarh	10133402200049	77077.08
	UCO Bank Joghon	14110110012109	231917	UCO Bank Joghon	14110110012109	1706036.75
	Post office	....	20.90	Post office	....	20.90
	Cash in hand	....	66.27	Cash in hand	....	673.00
	Total	....	440548.58	Total	....	1783807.73
Water Shed	UCO Bank Joghon	14110110007037	243534	UCO Bank Joghon	14110110007037	26399
	UCO Bank Joghon	14110110019313	7819	UCO Bank Joghon	14110110019313	63949
	Total		251353	Total		90348
IAY/AAY	As per cash book	....	24120	UCO Bank Joghon	14110100002987	87853.88
Manrega	As per cash book	....	3513	UCO Bank Joghon	....	0

नोटः– कई बार आग्रह करने के पश्चात भी डाक घर नालागढ़ (शेष 20.90) से सम्बन्धित पास बुक अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 उपरोक्त अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाएं।

6 रोकड़ बही के रख रखाव में पाई गई अनियमितताओं बारेः–

(i) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का रख रखाव नियमानुसार नहीं किया जा रहा था। रोकड़ बही में माह के अन्त में सक्षम प्राधिकारी द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज के नियम 2002 के नियम 7 (2) के निर्दिष्ट रोकड़ शेष सम्बन्धी प्रमाण पत्र नहीं दिए गए थे। साथ ही रोकड़ बहियों में कई प्रविष्टियों में कटिंग्स तथा ओवर राईटिंग की गई थी जोकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं थी। अतः उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 भविष्य में हि0प्र0 पंचायती राज नियम

2002 के नियम 7 में दिए गए निर्देशों अनुसार रोकड़ बही का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि का रखनाः–

पंचायत की सामान्य रोकड़ बही के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान हस्तगत राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था, जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें संपरीक्षा, ,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10(3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। इस अनियमितता से सम्बन्धित कुछ प्रकरण निम्नानुसार है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखना सुनिश्चित किया जाए।

दिनांक	राशि
1.3.17 से 17.3.17	1494, 1894, 1944
26.12.14 से 31.1.15	4182

(iii) रोकड़ बही में हस्तगत शेष में अन्तर पाया जाना

रोकड़ बही (सामान्य) की जाँच के दौरान हस्तगत शेष (cash in hand) में गलत गणनाओं के कारण निम्नानुसार ₹50 का अन्तर पाया गया, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

रोकड़ बही पृ0सं0	तिथि	रोकड़ बही में दर्शाया गया शेष	वास्तव में जितना शेष था	अन्तर
सामान्य	13.6.16	132	182	50

7 अनुदान ₹12.49 लाख का अवरोधनः–

ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी **(परिशिष्ट "ख")** के अनुसार दिनांक 31.3.2017 को विभिन्न अनुदान से सम्बन्धित ₹1249253.66 शेष थी। जिससे यह प्रतीत होता है कि अनुदान राशियों का उपयोग निर्धारित अवधि के दौरान नहीं किया गया था जिसके फलस्वरूप धन का अवरोध होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। अतः अनुदान से सम्बन्धित राशियों को

निर्धारित अवधि के दौरान व्यय न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा दिनांक 31.3.2017 को जिन अनुदानों की व्यय करने की निर्धारित अवधि समाप्त हो चुकी है उनसे सम्बन्धित राशियों को व्यय करने हेतु सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाये तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

8 पंचायत राजस्व ₹0.13 लाख वसूली हेतु बारेः–

(i) गृहकर की आय की जाँच में पाया गया कि दिनांक 31.3.17 को निम्नानुसार ₹12670 की वसूली शेष थी, जिसकी अतिशीघ्र वसूली की जाए तथा वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

वित्त वर्ष	परिवारों की सं0	गृह कर का निर्धारित रेट (वार्षिक)	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान बकाया	कुल योग	वर्ष के दौरान प्राप्ति	बकाया गृह कर
2014–15	287	10	–––	2870	2870	230	2640
2015–16	307	10	2640	3070	5710	340	5370
2016–17	365	20	5370	7300	12670	0	12670

(ii) ग्राम पंचायत क्षेत्र में दो मोबाईल टावर्स स्थापित है तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान इन टावर्स से 2014–15 में ₹4000 की आय प्राप्त हुई थी। इन टावर्स से दिनांक 31.3.17 को कितनी राशि वसूली हेतु बकाया था इससे सम्बन्धित कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा दिनांक 31.3.17 को बकाया राशि की गणना करके बकाया राशि की वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(iii) ग्राम पंचायत द्वारा न तो दिनांक 1.4.14 को बकाया गृहकर तथा मोबाईल टावर रेट की राशि से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध करवाई गई तथा न ही हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्तें, नियम 2002 के नियम 33 में दिए गए निर्देशों के अनुसार फार्म 10 पर अद्यतन मांग एवं प्राप्ति अभिलेख प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त गृह कर तथा मोबाईल टावर रेंट के निर्धारण से सम्बन्धित दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं करवाए गए। अतः इन अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपरोक्त वांछित अभिलेख अद्यतन करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाये।

(iv) ग्राम पंचायत को अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹8050 (5600+2450) मकान किराए तथा ₹50750 तालाब की लीज के रूप में प्राप्त हुए थे, परन्तु पंचायत सम्पत्ति कों किराए/लीज पर दिए जाने से सम्बन्धित कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके लिए स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर दर्शाया जाए।

9 निर्माण कार्यों में पाई गई अनियमितताएंः–

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच (Test Check) के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

(i) ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित प्रकरण में सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा निर्माण कार्य की मूल्यांकित राशि से अधिक का भुगतान किया गया था जोकि अनियिमित है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹8271 की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

रोकड़ बही	माह	निर्माण कार्य का शीर्ष	निर्माण कार्य पर किया गया व्यय	सक्षम प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकित राशि	अधिक भुगतान
मनरेगा	7/15	RWHT श्री केवल कृष्ण	62497	62300	197
		RWHT श्री राम दास	62500	62200	300
		RWHT परमजीत	62474	62254	220
		RWHT श्री फरीद मुहम्मद	62474	62207	267
		RWHT श्री शमशेर सिंह	62472	62254	218
		RWHT श्री जतिन्द्र सिंह	61613	58000	3613
		RWHT श्री गुरमुख सिंह	65501	62561	2940
		RWHT श्रीमती अनिता	62474	62200	274
		RWHT श्री बलजीत सिंह	58107	58000	107
	11/14	RWHT श्री अवतार सिंह	62455	62320	135
			कुल योग		**₹8271**

(ii) मनरेगा से सम्बन्धित **परिशिष्ट "ग"** में दर्शाई गई स्वीकृत राशियाँ निर्माण कार्यों पर व्यय की गई तथा तकनीकी अधिकारी द्वारा मूल्यांकित राशियाँ के अवलोकन में पाया गया कि इन निर्माण कार्यों पर जो राशियाँ व्यय की गई थी वह इन निर्माण कार्यों हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत राशि से अधिक थी। उदाहरणार्थ RRWH Tank (श्री केवल कृष्ण पुत्र गीता राम (माह 7/15) की स्वीकृत ₹58800 दर्शाई गई थी, परन्तु इन निर्माण कार्यों पर वास्तविक व्यय ₹62497 किया गया था। चर्चा के दौरान सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ऐसा कोई भी निष्पादन हेतु स्वीकृत राशि से कितना अधिक व्यय करने हेतु अधिकृत है। जिस कारण इन पर किये गये ₹3697 (62497–58800) के अधिक व्यय की सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा उपरोक्त तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान निष्पादित अन्य निर्माण कार्यों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित लागत से अधिक किये गये व्यय को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवा के अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

(iii) अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित निर्माण कार्यों से सम्बन्धित प्राक्कलन प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए।

रोकड़ बही	**माह**	**निर्माण कार्य का शीर्ष**
मनरेगा	7/15	निर्माण गली मस्जिद से कुविंदर के घर तक
		निर्माण तालाब बसोवाल
	10/16	निर्माण मकान भगतराम
		निर्माण मकान गुरमेल सिंह
	11/14	निर्माण गली नाली नंगल कूहल
सामान्य	11/14	Boundry Wall पंचायत घर
		निर्माण कूहल राजीव की जमीन से बरोग्गु पास सरवन सिंह

निर्माण गली नाली अगर सिंह बास

निर्माण गली नाली दर्शन सिंह बास

निर्माण सामुदायिक तालाब जगतपुर

निर्माण GSSS जोगो

10 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹4.45 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा ₹445218.5 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः उपरोक्त नियमों में प्रावधित औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में उपरोक्त नियमों का अनुसरण कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	माह	पृ0सं0	राशि (₹)	क्रय की गई वस्तु/ली गई सेवा का विवरण
सामान्य	11/14	173	19981.75	रेत, बजरी, पत्थर क्रय तथा सीमेंट सहित ढुलान
			27326.75	रेत, बजरी, पत्थर क्रय तथा सीमेंट सहित ढुलान
			11730	रेत, बजरी, पत्थर क्रय तथा सीमेंट सहित ढुलान
			11740	रेत, बजरी, पत्थर क्रय तथा सीमेंट सहित ढुलान
		174	2625	रेत क्रय
			1500	बोर्ड क्रय एवं लिखाई
			20690	पत्थर, गटका रेत क्रय

			2963	स्टोर सामग्री
			31399	टाईल्स सीमेंट Check
			12915	पानी की फिटिंग
	7/15	08	2450	एन्टीवायरस आदि
	10/16	45	1600	साईन बोर्ड
वाटर शेड	7/15	29	36690	रेत, बजरी, गटका क्रय तथा सीमेंट सहित ढुलान
			8090	Mixture का किराया
		30	48911	रेत, बजरी, गटका क्रय तथा सीमेंट सहित ढुलान
			9250	Mixture का किराया
			41468	रेत, बजरी, गटका क्रय तथा सीमेंट सहित ढुलान
			5500	पानी का टैंक
		29 तथा 30	2398 (798+800 +800)	साईन बोर्ड लिखाई
	10/16	39	45850	रेत, बजरी, गटका क्रय तथा सीमेंट सहित ढुलान
			22350	शेट्रिंग का किराया
			22350	–यथोपरि–
मनरेगा		87	3072	स्टील का क्रय
			3072	–यथोपरि–
			3072	–यथोपरि–
			3072	–यथोपरि–
			3072	–यथोपरि–
			3072	–यथोपरि–
			3072	–यथोपरि–
			3072	–यथोपरि–

		3072	–यथोपरि–
		3072	–यथोपरि–
11/14	69	3072	स्टील का क्रय
		3072	–यथोपरि–
		3072	–यथोपरि–
		3072	–यथोपरि–
		3072	–यथोपरि–
		1196	सीमेंट ढुलान
		1196	–यथोपरि–
		1196	–यथोपरि–
		1196	–यथोपरि–
		1196	–यथोपरि–
		3381	–यथोपरि–
कुल योग		**₹445218.5**	

11 भुगतानों के एवज में प्राप्त पावतियाँ प्रस्तुत न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 50 (1) में दिए गए निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानों/व्यय के एवज में पावती प्राप्त की जानी अपेक्षित है। व्यय की पड़ताल के दौरान यह पाया गया कि क्रय किये गये मेटीरियल तथा अन्य भुगतानों के एवज में सम्बन्धित फर्मो/कार्यालय से पावतियाँ प्राप्त नहीं की जा रही थी। इस अनियमितता से सम्बन्धित कुछ प्रकरण निम्नानुसार है। अतः इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। भविष्य में सभी भुगतानों/व्यय के एवज में पावतियाँ प्राप्त की जानी सुनिश्चित की जाए।

रोकड़ बही	माह	पृ0सं0	राशि (₹)	क्रय की गई वस्तु/ली गई सेवा का विवरण
सामान्य	11/14	174	1500	बोर्ड क्रय एवं लिखाई
			2963	स्टोर सामग्री

			800	बोर्ड लिखाई
			31399	टाईल्स आदि
			12915	पानी की फिटिंग
	10/16	45	1600	साइन बोर्ड
वाटर शेड	7/15	29	8090	mixture का किराया
		30	9250	mixture का किराया
			5500	पानी का टैंक
मनरेगा	10/16	115	7820	मस्टर रोल सं0 1247
			7480	मस्टर रोल सं0 1249
			11900	मस्टर रोल सं0 1250
			9520	मस्टर रोल सं0 1252
			1700	मस्टर रोल सं0 1253
	7/15	90	2892	मस्टर रोल सं0 200
			5346	मस्टर रोल सं0 201
		91	9072	मस्टर रोल सं0 204
			9072	मस्टर रोल सं0 206
		92	16524	मस्टर रोल सं0 211
			31590	मस्टर रोल सं0 212
		93	14094	मस्टर रोल सं0 408
			7452	मस्टर रोल सं0 410
			9072	मस्टर रोल सं0 411
			20412	मस्टर रोल सं0 412
		94	11340	मस्टर रोल सं0 414
			14904	मस्टर रोल सं0 415
		87	3072	स्टील का क्रय
			3072	–यथोपरि–
			3072	–यथोपरि–
		88	3072	–यथोपरि–
			3072	–यथोपरि–

		3072	–यथोपरि–
		3072	–यथोपरि–
		3072	–यथोपरि–
		3072	–यथोपरि–
	89	3072	–यथोपरि–
		3072	–यथोपरि–
11/14	68	11704	मस्टर रोल सं0 1037
	69	3072	स्टील का क्रय
		3072	–यथोपरि–
		3072	–यथोपरि–
		3072	–यथोपरि–
		3072	–यथोपरि–
	71	10673	सीमेंट क्रय
		10673	–यथोपरि–
		10673	–यथोपरि–

12 ₹144 का अधिक भुगतान करना:–

व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित प्रकरणों में ₹144 का अधिक भुगतान किया गया था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹144 की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

रोकड़ बही	माह	पृ0सं0	किया गया भुगतान	जितना भुगतान बनता था	अधिक भुगतान	टिप्पणी/विवरण
सामान्य	11/14	173	11730	11720	10	निर्माण सामग्री, किराए तथा मजबूरी का भुगतान
मनरेगा	11/14	69	3072 (2927+145)	3050 (2905 (67.1X43.30)+145)	22	वा0सं0 71 स्टील का क्रय

			3072 (2927+145)	3050 (2905 (67. 1X43.30)145)	22	वा0सं0 72 स्टील का क्रय
			3072 (2927+145)	3050 (2905 (67. 1X43.30)145)	22	वा0सं0 73 स्टील का क्रय
			3072 (2927+145)	3050 (2905 (67.1x43.30)145)	22	वा0सं0 75 स्टील का क्रय
सामान्य	11/14	–––	1760	1714	46	निर्माण कार्य Boundary wall पंचायत घर, माप पुस्तिका 12182 पृष्ठ संख्या 27, मद संख्या 3 Rubble masonry
				कुल योग	**144**	

13 स्वीकृति पत्र तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करनाः–

(i) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विभिन्न लाभार्थियों को शौचालय निर्माण हेतु IAY रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 30 से 31 (माह 10/16) के अनुसार ₹384000 (228000+96000+60000) की राशि जारी की गई थी, परन्तु अंकेक्षण के दौरान सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी इन राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये, जिस कारण निर्मित शौचालयों की गुणवता सही थी तथा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार थी इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाए।

(ii) माह 7/15 में (पृष्ठ संख्या 20 रोकड़ बही IAY) TSC के अन्तर्गत श्री श्याम सिंह पुत्र संत राम को शौचालय निर्माण हेतु ₹5100 तथा IAY के अन्तर्गत ₹7500 जारी किये गए थे परन्तु अंकेक्षण के दौरान ₹5100 को जारी किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति नहीं दर्शाई गई। साथ ही उपरोक्त जारी राशियों के सन्दर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा

जारी उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपरोक्त अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए।

14 स्टोर/स्टॉकः—

(क) प्रत्यक्ष सत्यापन न करवानाः—

हिमाचल प्रदेश पचांयती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

(ख) ₹4.21 लाख के क्रय स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करनाः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित विभिन्न स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की प्राप्ति तथा जारी किये जाने सम्बन्धी प्रविष्टियाँ स्टॉक सामग्री रजिस्टर में नहीं की गई थी। निम्न प्रकरण केवल चयनित मासों से सम्बन्धित है तथा अन्य मासों मे भी इस प्रकार की अनियमितताएं की गई हो इस सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ—2 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 69 के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाएं।

रोकड़ बही	माह	पृ0सं0	राशि (₹)	क्रय की गई वस्तु/ली गई सेवा का विवरण
सामान्य	11/14	173	19981.75	रेत, बजरी, पत्थर क्रय तथा सीमेंट सहित ढुलान
			27326.75	रेत, बजरी, पत्थर क्रय तथा सीमेंट सहित ढुलान
			11730	रेत, बजरी, पत्थर क्रय तथा सीमेंट सहित ढुलान
			11740	रेत, बजरी, पत्थर क्रय तथा सीमेंट सहित ढुलान

		174	2625	रेत, क्रय
			1500	बोर्ड क्रय एवं लिखाई
			450	फोटो
			20690	पत्थर, गटका रेत क्रय
			2963	स्टोर सामग्री
			800	बोर्ड लिखाई
			100	फोटो
			31399	टाईल्स आदि
			12915	पानी की फिटिंग
			180	स्टेशनरी
	7/15	08	2450	एन्टी वायरस आदि
	10/16	45	1600	साईन बोर्ड
		47	100	फाईल कवर
वाटर शेड	7/15	29	36690	रेत, बजरी, गटका क्रय तथा सीमेंट सहित ढुलान
			798	साइन बोर्ड लिखाई
			125	फोटो
		30	48911	रेत, बजरी, गटका क्रय तथा सीमेंट सहित ढुलान
			800	साइन बोर्ड लिखाई
			190	फोटो
			41468	रेत, बजरी, गटका क्रय तथा सीमेंट सहित ढुलान
			5500	पानी का टैंक
			800	साइन बोर्ड लिखाई
			120	फोटो
		31	10491	सीमेंट क्रय
	10/16	39	45850	रेत, बजरी, पत्थर क्रय तथा सीमेंट सहित ढुलान

		44	फोटो
7/15	87	3072	स्टील का क्रय
		3072	–यथोपरि–
		3072	–यथोपरि–
	88	3072	–यथोपरि–
		3072	–यथोपरि–
		3072	–यथोपरि–
		3072	–यथोपरि–
		3072	–यथोपरि–
		3072	–यथोपरि–
	89	3072	–यथोपरि–
		3072	–यथोपरि–
11/14	69	3072	स्टील का क्रय
		3072	–यथोपरि–
		3072	–यथोपरि–
		3072	–यथोपरि–
		3072	–यथोपरि–
	71	10673	सीमेंट क्रय
		10673	–यथोपरि–
		10673	–यथोपरि–
	कुल योग	**₹421508.50**	

15 विविधः–

(i) रसीद बुक के इस्तेमाल से सम्बन्धित अनियमितताओं बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज के नियम 2002 के नियम 5 का अनुसरण नहीं किया जा रहा है। चयनित मासों में आय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि रसीद बुक्स पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा गणना सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा था। साथ ही रोकड़ बही में रसीदों की प्रविष्टियाँ क्रमानुसार नहीं की गई थी। रसीद बुक रजिस्टर में चयनित मास से सम्बन्धित रसीद बुक संख्या 119301 से 400

तथा 119401 से 500 के जारी किये जाने से सम्बन्धित प्रविष्टि नहीं पाई गई जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। रजिस्टर में विभिन्न स्तम्भों (6, 8, 9, 10, 11, 12) में आवश्यक विवरण नहीं भरा जा रहा था। रसीद बुकों के शेषों बारे भी स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। अतः उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 इनके बारे अपेक्षित कार्यवाही करके, रसीद बुक रजिस्टर अद्यतन करके रजिस्टर में रसीद बुकों के शेष निकाल कर तथा उन शेषों को सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित करवाके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। भविष्य में इन अनियमितताओं की पुनरावृति न हो ये भी सुनिश्चित किया जाए।

(ii) सावधि निवेशः–

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई भी राशि सावधि जमा में निवेश नहीं की गई थी जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज 2002 के नियम 11 के अनुसार जिस राशि का उपयोग 6 माह तक नहीं किया जाना हो तो उस राशि को इस बारे प्रस्ताव पारित करके सावधि जमा में निवेश किया जा सकता है ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में उपरोक्त नियम में दिये गये निर्देशों की अनुपालना की जानी सुनिश्चित की जाए तथा स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय को उपरोक्त नियम में दिए गए निर्देशों को ध्यान में रख कर सावधि जमा में निवेश किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अधिक आय प्राप्त हो सके।

(iii) बिल पारित करने सम्बन्धित निर्देशों का पालन न करनाः–

चयनित मासों में व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत निधि से किये जा रहे अधिकतम भुगतानों को केवल प्रधान द्वारा ही सत्यापित किया गया था जोकि अनियमित है। पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 49 (1) के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव द्वारा शब्दों एवं अंकों दोनों में देय रकम को इसमें लिखते हुए संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित न किया गया हो। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में पंचायत निधि से किये जाने वाले सभी भुगतानों को प्रधान व सचिव द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित करने के उपरान्त ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(iv) मस्टर रोल्स सम्बन्धी अनियमितताओं बारेः–

यह भी पाया गया कि अधिकतम प्रकरणों में निर्माण समिति/Village monitoring committee (vmc) द्वारा मस्टर रोल्स पर निर्माण कार्यों के ठीक से होने बारे सत्यापन नहीं किया गया था । Muster Rolls का Part III (रोकड़ बही, सामान्य) जिसमें भुगतान से पूर्व निर्माण कार्य का माप/अन्य विवरण भरा जाना तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है यह नहीं किया जा रहा था। Muster Rolls रजिस्टर में भी सम्पूर्ण विवरण नहीं भरा जा रहा था तथा Muster Rolls को क्रमानुसार जारी नहीं किया गया था। अतः इन अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में इनकी पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

(v) बजट आकलन (Budget Estimate) निर्धारित समय अवधि में पारित न करवाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 37 की में दिये गये निर्देशों का अनुसरण पूर्णतया नहीं किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2014–15, 2015–16 तथा 2016–17 से सम्बन्धित बजट आंकलन निर्धारित समय (28 फरवरी से पूर्व) के भीतर पारित नहीं करवाया गया था तथा बजट निर्धारित फार्म "11" पर नहीं बनाए गए थे। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में बजट आकलन निर्देशानुसार विहित फार्म "11" पर निर्धारित समय अवधि के भीतर तैयार एवं पारित करवाए जाने सुनिश्चित किया जाएं।

(vi) विहित रजिस्टरों के रख रखाव बारेः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान स्टेशनरी रजिस्टर (फार्म–28), miscellaneous demand and collection register (फार्म–10), अस्थाई अग्रिम रजिस्टर, (फार्म–9) Register of bills received (फार्म–13), Stock register of non consumable articles (फार्म–25), Stock register of consumable articles other than stationary and printed material (फार्म–26), माप पुस्तिका रजिस्टर आदि का रख रखाव ही नहीं किया जा रहा है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपरोक्त अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाने सुनिश्चित किये जाए।

(vii) वाउचर नस्ति में बिल संलग्न न होनाः–

व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत के टेलीफोन बिल (रोकड़ बही सामान्य) वाउचर नस्ति (माह 11/14) में संलग्न नहीं थे केवल उनके भुगतान से सम्बन्धित रसीदें ही संलग्न थी जोकि अनियमित है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में वाउचर नस्ति मे बिल तथा रसीदें दोनों संलग्न की जानी सुनिश्चित की जाए।

16 लघु आपत्ति विवरणिकाः– अलग से जारी नहीं की गई।

17 निष्कर्षः– खातों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0–0177 2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(4) 43/2018–खण्ड–1–4328–4331 दिनाँक14.06.2018
शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत जगतपुर, विकास खण्ड नालागढ़, तहसील नालागढ़ जिला सोलन, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, सोलन, जिला सोलन, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नालागढ़ तहसील नालागढ़ जिला सोलन, हि0प्र0

हस्त/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0–0177 2620881